रजिस्ट्री सं. डी॰ (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 1985/फाल्गुन 17, 1906
No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 1985/PHALGUNA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1985

सा. का. नि. 142(अ) :—भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) भाग-2, खण्ड 3, उपखंड(1) तारीख 1 जनवरी, 1985 के पृष्ठ 1-3 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 3(अ) दिनांक 1 जनवरी, 1985 में,

पृष्ठ 1 पर

(क) उद्देशिका में,

(1) छठी पंक्ति में, "का. नि. आ." को "सा. का. नि." पढ़ें।

(2) आठवीं पंक्ति, "उपखंड (2)" को "उपखंड (1)" पढ़ें ।

(3) अंतिम पैरा, दूसरी पंक्ति, "उपधारा (2)" को "उपधारा (1)" पढ़ें ।

(ख) नियम 1(1) में, दूसरी पंक्ति, "पहला (संशोधन)" को "(पहला संशोधन)" पढ़ें ।

[सं. पी. 15014/14/82-पी. एच. (एफ. एण्ड एन.) पी. एफ. ए.]

एस. वी. सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th March, 1985

G.S.R. 142(E).—In the notification of Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare No. GSR 3(E) dated 1st January, 1985, published at pages 4 and 5 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 1st January, 1985, at page 4

(a) for rule '1' read "1(1)"

(b) in rule 1, for the word "he" read "the".

[No. P. 15014|14|82-PH(F&N) PFA]

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985